न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 15 / 2025
प्रविष्टि दिनांक 01.05.2025

जरिये धर्मचन्द अग्रवाल प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय टोंक
– प्रार्थी

बनाम

मै.असलम मैरिज गार्डन प्रो.सैफी खान सबीलशाह की चोकी टोंक
– अप्रार्थी

जब्तशुदा 08 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–
1– पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 23.07.2025

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 23.04.2025 को प्रवर्तन अधिकारी बहमराह जिला रसद अधिकारी, टोक एवं प्रवर्तन निरीक्षक के साथ घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरूपयोग के निरीक्षण/जॉच हेतु संयुक्त जॉच दल के रूप में टोंक शहर, सबीलशाह की चौकी, असलम मैरिज गार्डन पहुँचे। मौके पर 8 घरेलू गैस सिलेण्डर मोटर मय रबर पाईप रखी होना पाई गई। मौके पर श्री सैफी खान पुत्र श्री असलम खान से गैस सिलेण्डर के बारे में पूछताछ करने पर बताया गया कि हम यहॉं वाहनों में गैस भरने का काम करते है एवं सिलेण्डर भरने के प्रति सिलेण्डर 1000 रूपये लेते है। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघन है जिसके कारण उक्त गैस सिलेण्डर मय 2 इलेक्ट्रिक मोटर एवं रबर पाईप तथा गैस तौलने हेतु रखा हुआ इलेक्ट्रोनिक कांटा को कब्जे राज लिया गया। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करने के कारण उक्त 8 सिलेण्डर मय 2 इलेक्ट्रिक मोटर एवं एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा को जब्त किया गया मौके पर फर्द मौका/अभिग्रहण/सुपुर्दगीनामा तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क0सं0	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1	26090 T	BPCL	14.2	15.7	0	0
2	153490 J	BPCL	14.2	15.7	29.9	14.2
3	162355 T	BPCL	14.2	16.1	30.3	14.2
4	140277 S	BPCL	14.2	16.2	30.4	14.2
5	330983 T	BPCL	14.2	15.4	29.6	14.2
6	912311 T	BPCL	14.2	15.8	30.0	14.2
7	851195	BPCL	14.2	15.9	30.1	14.2
8	077755 T	BPCL	14.2	15.7	29.9	14.2
योग						99.4

श्री सैफी खान ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 8 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 99.4 Kg एलपीजी मय 2 इलेक्ट्रिक मोटर एवं इलेक्ट्रोनिक कांटा को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए,उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण मे पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 23.04.2025 को प्रवर्तन अधिकारी बहमराह जिला रसद अधिकारी टोक एवं प्रवर्तन निरीक्षक के साथ घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरूपयोग के निरीक्षण/जॉच हेतु संयुक्त जॉचदल के रूप में टोंक शहर, सबीलशाह की चौकी, असलम मैरिज गार्डन पहुँचे। मौके पर 8 घरेलू गैस सिलेण्डर मोटर मय रबर पाईप रखी होना पाई गई। मौके पर श्री सैफी खान पुत्र श्री असलम खान से गैस सिलेण्डर के बारे में पूछताछ करने पर बताया गया कि हम यहाँ वाहनों में गैस भरने का काम करते है एवं सिलेण्डर भरने के प्रति सिलेण्डर 1000 रूपये लेते है। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघन है जिसके कारण उक्त गैस सिलेण्डर मय 2 इलेक्ट्रिक मोटर एवं रबर पाईप तथा गैस तौलने हेतु रखा हुआ इलेक्ट्रोनिक कांटा को कब्जे राज लिया गया। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करने के कारण उक्त 8 सिलेण्डर मय 2 इलेक्ट्रिक मोटर एवं एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा को जब्त किया गया मौके पर फर्द मौका/अभिग्रहण/सुपूर्दगीनामा तैयार की गई।श्री सैफी खान द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से भण्डारण किया जाना करना पाया गया। अतः जब्त सामग्री 2 इलेक्ट्रिक मोटर तथा इलेक्ट्रोनिक काटा एवं 8 खाली/भरे हुए गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु भारत गैस एजेन्सी टोंक के प्रतिनिधि श्री सीताराम नामा

जिला कलेक्टर
टोंक

निवासी शंकरपुरा चौराहा टोंक की सुर्पुदगी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मागे प्रस्तुत करें तथा इनको खुर्द–बुर्द नहीं करे। श्री सैफी खान ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 8 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 99.4 Kg एलपीजी मय 2 इलेक्ट्रिक मोटर एवं इलेक्ट्रोनिक कांटा को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है,जिसे राजसात किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 23.04.2025 के अनुसार मै. असलम मैरिज गार्डन प्रो. सैफी खान सबीलशाह की चोकी टोंक की दुकान/ व्यवसाय स्थल की जांच करने पर मौके पर 14.2 KG क्षमता के 08 सिलेण्डर मिले। घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से मौके पर गैस भरने मे प्रयुक्त किया जा रहा था। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है ।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क0सं0	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1	26090 T	BPCL	14.2	15.7	0	0
2	153490 J	BPCL	14.2	15.7	29.9	14.2
3	162355 T	BPCL	14.2	16.1	30.3	14.2
4	140277 S	BPCL	14.2	16.2	30.4	14.2
5	330983 T	BPCL	14.2	15.4	29.6	14.2
6	912311 T	BPCL	14.2	15.8	30.0	14.2
7	851195	BPCL	14.2	15.9	30.1	14.2
8	077755 T	BPCL	14.2	15.7	29.9	14.2
योग						99.4

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर दुकान/व्यवसाय स्थल पर मौके पर 08 घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर सैफी खान, वसीउद्दीन व सीताराम नामा के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी सैफी खान, वसीउद्दीन व सीताराम नामा के हस्ताक्षर है तथा भारत गैस एजेन्सी टोंक के प्रतिनिधि श्री सीताराम नामा के हस्ताक्षर है जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण, अवैध रूप से कार्य मे प्रयुक्त कर दुरूपयोग किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 08 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 99.4 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक